excluding Goa, Punjab, Chandigarh, Delhi and Pondicherry. These additional blocks include new DPAP/DDP blocks. Modified Area Development Approach (MADA) blocks having a larger concentration of tribals and the flood prone areas of the country.

Legislation for agricultural and construction workers

*249. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI ANANTRAY
DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is a proposal before Government for enacting a Central Law for agricultural and construction workers;

(b) if so,what is the stage of consideration of this proposal;

(c) whether State Governments are being consulted in this regard;

(d) whether Government have completed its study of the laws of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra in this regard;

(e) what is the response of Government in this regard;

(f) whether the State Governments have protested against a Central Law; and

(g) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) Proposals for Central legislations for agricultural and construction workers are at an advanced stage of consideration.

(c) to (e) Wide ranging consultations have been held with the State Governments to evolve a consensus and while formulating the proposals, due note is being taken of the State legislations, wherever they are existing.

(f) and (g) While there has been some difference of opinion on the Central legislation for agricultural workers among the States mainly on account of widely varying agro-climatic and socio-economic conditions and administrative systems/practices, there is a general consensus in favour of taking up this legislation. It is proposed to build in sufficient flexibility to suit different local requirements and needs.

स्वैच्छिक संगठनों में श्रमिकों का शोषण

*250. श्री कामेश्वर पासवान: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों में श्रमिकों को शोषण ज्यादा हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये संगठन अपने कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान नहीं देते हैं और जब चाहे उन्हें निकाल भी देते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माणरत सुलभ इंटरनेशनल, गांधी मैदान, पटना अपने कर्मचारियों को बड़े शहरों में भी मात्र 600 रुपये प्रति माह वेतन देता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) ऐसी सूचना मिली है कि कुछ स्वयंसेवी संगठन अपने कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान नहीं रखते हैं। जब कभी कानून के उल्लंघन के बारे में सूचित किया जाता है, अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार से सूचना मिली है कि सुलभ इंटरनेशनल, पटना के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न किये जाने के बारे में वहां कोई विवाद नहीं रहा है।

पर्यावरण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना आवंटन

*251. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु कोई विशेष निधियां आवंटित की गई हैं/किए जाने का विचार है

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके लिये राज्यों को केन्द्र की ओर से योजना आयोग द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम भेजे गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) और (ख) वानिकी, वन्यजीवन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के तहत आठवीं

पंचवर्षीय योजना का राज्य वार आवंटन विवरण I तथा II में दिया गया है (नीचे देखिए)। नौवीं योजना के लिए अभी कोई सूचना उपलब्ध कराना जल्दबाजी होगी।

(ग) : जी, नहीं।

विवरण I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय वन और वन्य जीवन

(लाख रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना परिव्यय	1992-93 वास्तविक	1993-94 वास्तविक	बजट अनु०	1994-95 संशोधित अनु०	1995-96 परिव्यय
आंध्र प्रदेश	6842.00	927.00	781.00	1600.00	600.00	-
अरुणाचल प्रदेश	4710.00	944.00	984.00	1200.00	1175.00	1376.00
असम	11260.00	1727.00	2242.00	2584.00	2387.00	2890.00
बिहार	18391.00	1730.00	1055.00	3264.00	930.00	3264.00
गोवा	1030.00	194.00	208.00	217.00	214.00	233.00
गुजरात	32000.00	5770.00	4954.00	5517.00	5517.00	-
हरियाणा	11770.00	2980.00	3240.00	3090.00	2758.00	3747.00
हिमाचल प्रदेश	21000.00	4090.00	3491.00	4169.00	4039.00	4699.00
जम्मू व कश्मीर	9880.00	1472.00	1508.00	1896.00	2087.00	2181.00
कर्नाटक	20676.00	3471.00	5162.00	5668.00	4769.00	6051.00
केरल	9075.00	3274.00	2219.00	2350.00	2350.00	2600.00
मध्य प्रदेश	18782.00	3628.00	4256.00	5090.00	4572.00	7665.00
महाराष्ट्र	50221.00	2812.00	5446.00	11110.00	10566.00	-
मणिपुर	2300.00	495.00	379.00	490.00	490.00	588.00
मेघालय	5978.00	1213.00	775.00	1100.00	500.00	800.00
मिजोरम	3105.00	614.00	597.00	675.00	574.00	600.00
नागालैण्ड	2850.00	124.00	350.00	471.00	110.00	471.00
उड़ीसा	10535.00	3844.00	3168.00	4801.00	3088.00	3228.00
पंजाब	5593.00	725.00	809.00	733.00	733.00	1270.00
राजस्थान	32655.00	3846.00	4393.00	5900.00	7372.00	9459.00
सिक्किम	1750.00	316.00	308.00	315.00	315.00	402.00
तमिलनाडु	19500.00	4559.00	4561.00	4587.00	3908.00	5183.00
त्रिपुरा	2600.00	530.00	415.00	360.00	360.00	600.00
उत्तर प्रदेश	36454.00	5966.00	4735.00	4085.00	4364.00	5355.00
पश्चिम बंगाल	13559.00	1570.00	2168.00	3547.00	3147.00	3584.00
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2500.00	392.03	444.45	533.20	533.20	600.39
चंडीगढ़	718.10	201.95	223.70	102.13	102.13	183.03
दादरा व नगर हवेली	790.00	198.62	264.25	250.00	250.00	260.00
दमन व दीव	105.00	26.91	21.95	33.00	33.00	36.70
दिल्ली	715.00	220.00	312.61	509.00	509.00	448.00
लक्षद्वीप	85.00	16.00	19.35	17.00	17.00	21.00
पांडिचेरी	258.00	58.17	72.00	96.00	99.00	110.00
जोड़:	355687.10	57935.31	59562.31	76359.33	68468.33	67905.12

विवरण II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय – पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी

(लाख रुपये)

क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	77.00	35.00	45.00	–
अरुणाचल प्रदेश	5.00	6.00	7.00	8
असम	100.00	100.00	80.00	118
बिहार	113.00	119.00	119.00	119
गोवा	20.00	20.00	20.00	20
गुजरात	180.00	180.00	65.00	–
हरियाणा	84.00	102.00	110.00	121
हिमाचल प्रदेश	37.00	38.00	41.00	67
जम्मू व कश्मीर	179.00	194.00	210.00	222
कर्नाटक	60.00	100.00	307.00	347
केरल	145.00	170.00	180.00	170
मध्य प्रदेश	848.00	748.00	700.00	4398
महाराष्ट्र	58.00	60.00	45.00	–
मणिपुर	25.00	25.00	22.00	30
मेघालय	50.00	50.00	50.00	50
मिजोरम	5.00	5.00	5.00	2
नागालैण्ड	6.00	6.00	5.00	5
उड़ीसा	104.00	104.00	324.00	410
पंजाब	120.00	127.00	28.00	511
राजस्थान	200.00	257.00	397.00	350
सिक्किम	30.00	30.00	34.00	39
तमिलनाडु	23.00	50.00	220.00	361
त्रिपुरा	25.00	27.00	21.00	90
उत्तर प्रदेश	172.00	225.00	165.00	240
पश्चिम बंगाल	110.00	70.00	41.00	45
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.00	5.00	5.00	5
चंडीगढ़	7.75	25.00	27.20	30.10
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	1.00	1.00	0.00	0.00
दिल्ली	30.00	60.00	77.00	79
लक्षद्वीप	0.00	10.09	8.14	24.57
पांडिचेरी	2.00	12.00	15.00	25
जोड़:	2821.75	2961.09	3373.34	7886.67